

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.3210
(ANSWERED ON 11.03.2026)

NEXT INCREMENT AFTER STEPPING UP OF PAY

3210. SHRI ANAND BHADAURIA:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) whether as per the OM of Department of Personnel and Training dated 13.09.2022 regarding next increment after stepping up of pay, the senior officer shall be entitled to the next increment on completion of the required qualifying service w.e.f. the date of re-fixation of the pay;
- (b) if so, the details of required qualifying period for next increment from the date of stepping up under 7th Central Pay Commission in cases where stepping up has been allowed under Rule 7, Note 10 of CCS (RP) Rules, 2016;
- (c) whether Hon'ble Delhi High Court in W.P(C) 12452/2023 has ruled that stepping of pay is personal to senior employee only to remove the anomaly due to junior drawing higher pay than the senior and stepping up of pay does not affect the date of next increment of senior employee; and
- (d) if so, the details of orders issued in response to said order?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)**

- (a): Department of Personnel and Training (DoP&T) has issued information document on pay fixation of Government Servant on 13.09.2022 for the facility of reference and guidance. As per para 2(ii) of DoP&T OM No. 4/3/2017-Estt.(Pay-I) dated 26.10.2018 as also contained in abovesaid document dated 13.09.2022, the senior officer shall be entitled to the next increment after stepping up of pay on completion of the required qualifying service w.e.f. the date of re-fixation of the pay.
- (b): The date of next increment in 7th Central Pay Commission pay structure is governed under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016, the extract of which has been annexed herewith.
- (c): The Judgement of the Hon'ble High Court of Delhi dated 05.10.2023 in W.P.(C) No.12452/2023 is a matter of public record and is available on the official website of Hon'ble Delhi High Court (<https://www.delhihighcourt.nic.in/web/>>Case Status).
- (d): The Judgement of the Hon'ble High Court of Delhi dated 05.10.2023 in W.P.(C) No. 12452/2023 has been implemented in respect of applicant of the case.

Rule 10 of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 referred to in inputs of Lok Sabha Un-starred Question No. 3210 for 11.03.2026

10. Date of next increment in revised pay structure:-

"(1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation.

(2) The increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under MACPS during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

Illustration:

(a) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

(b) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between 2nd day of January, 2016 and 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in the case of employees whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, the next increment in the Level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2017.

(3) Where two existing Grades in hierarchy are merged and the junior Government servant in the lower Grade happens to draw more pay in the corresponding Level in the revised pay structure than the pay of the senior Government servant, the pay of the senior government servant shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment in accordance with this rule."

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3210
(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर के लिए)

वेतन बढ़ने के पश्चात अगली वेतन वृद्धि

3210. श्री आनंद भदौरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, वेतन बढ़ने के बाद अगली वेतन वृद्धि के संबंध में, वरिष्ठ अधिकारी वेतन के पुनःनिर्धारण की तिथि से आवश्यक अर्हक सेवा पूर्ण करने पर अगली वेतन वृद्धि का पात्र होगा;
- (ख) यदि हां, तो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत उन मामलों में जहां केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 7, नोट 10 के तहत वेतन बढ़ाने की अनुमति दी गई है, वेतन बढ़ने की तिथि से अगली वेतन वृद्धि के लिए आवश्यक अर्हक अवधि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 12452/2023 में यह निर्णय दिया है कि वेतन में बढ़ोतरी वैयक्तिक रूप से केवल वरिष्ठ कर्मचारी के लिए है ताकि कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ से अधिक वेतन प्राप्त करने के कारण उत्पन्न विसंगति को दूर किया जा सके और वेतन में बढ़ोतरी वरिष्ठ कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि की तिथि को प्रभावित नहीं करेगी; और
- (घ) यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संदर्भ और मार्गदर्शन की सुविधा के लिए दिनांक 13.09.2022 को सरकारी सेवक के वेतन नियतन संबंधी सूचनाप्रद दस्तावेज जारी किया है। डीओपीटी के दिनांक 26.10.2018 के का.जा.सं. 4/3/2017-स्थापना (वेतन-1) के पैरा 2(ii) के अनुसार, जैसा कि दिनांक 13.09.2022 के पूर्वोक्त दस्तावेज में भी निहित है, वरिष्ठ अधिकारी अपेक्षित अर्हक सेवा पूर्ण करने पर वेतन के पुनः नियतन की तिथि से वेतन में वृद्धि के बाद अगली वेतन वृद्धि के लिए हकदार होंगे।

(ख) : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग संबंधी वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत शासित होती है, जिसका उद्धरण इसके साथ संलग्न किया गया है।

(ग) : रिट याचिका (सिविल) सं. 12452/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 05.10.2023 का निर्णय, सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है और यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.delhihighcourt.nic.in/web/>CaseStatus>) पर उपलब्ध है।

(घ) : रिट याचिका (सिविल) सं. 12452/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 05.10.2023 के निर्णय को मामले के आवेदक के संबंध में कार्यान्वित किया गया है।

दिनांक 11.03.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3210 के इनपुट में संदर्भित
केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 का नियम 10

10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन-वृद्धि की तारीख -

"(1) वेतन-वृद्धि देने के लिए 1 जुलाई की मौजूदा तिथि की बजाय हर साल दो तिथियां होंगी, अर्थात् 1 जनवरी और 1 जुलाई:

बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तिथि के आधार पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को सिर्फ एक वार्षिक वेतन-वृद्धि हेतु पात्र होगा।

(2) 2 जनवरी और 1 जुलाई (दोनों शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त या पदोन्नत किए गए संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के तहत उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन प्रदान किए गए कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि, 1 जनवरी को दी जाएगी और 2 जुलाई और 1 जनवरी (दोनों शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त या पदोन्नत हुए या एमएसीपीएस के तहत उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन, प्रदान किए गए कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि, 1 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

(क) 2 जुलाई, 2016 और 1 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि के दौरान सामान्य पदानुक्रम में या एमएसीपीएस के तहत नियुक्त या पदोन्नत किए गए कर्मचारी के मामले में, पहली वेतन-वृद्धि 1 जुलाई, 2017 को अर्जित होगी और उसके बाद यह एक साल बाद वार्षिक आधार पर अर्जित होगी।

(ख) 2 जनवरी, 2016 और 1 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि के दौरान सामान्य पदानुक्रम में या एमएसीपीएस के तहत नियुक्त या पदोन्नत किए गए कर्मचारी, जिसने 1 जुलाई, 2016 को कोई वेतन-वृद्धि आहरित नहीं की है, के मामले में अगली वेतन-वृद्धि 1 जनवरी, 2017 को अर्जित होगी और उसके बाद यह वार्षिक आधार पर एक वर्ष बाद अर्जित होगी:

बशर्ते कि जिन कर्मचारियों का वेतन, संशोधित वेतन संरचना में 1 जनवरी को नियत किया गया है, उसे उस लेवल, जिसमें 1 जनवरी, 2016 को ऐसा वेतन नियत किया गया था, में अगली वेतन-वृद्धि 1 जुलाई, 2016 को अर्जित होगी।

बशर्ते कि यह और कि, 1 जुलाई, 2016 को वेतन-वृद्धि आहरित करने के बाद अगली वेतन-वृद्धि 1 जुलाई, 2017 को अर्जित होगी।

(3) जहां पदानुक्रम में दो मौजूदा ग्रेड को आमेलित किया जाता है और निचले ग्रेड में कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी को संशोधित वेतन संरचना में सदृश लेवल में वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन की तुलना में ज्यादा वेतन मिलने लगता है, तो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन में उसी तिथि से उसके कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर वेतन वृद्धि की जाएगी और वह इस नियम के अनुसार अगली वेतन-वृद्धि आहरित करेगा।"